

प्रेषक,

आदर्श अमोल,
सिविल जज(जू0डि0)/त्वरित
न्यायालय (कक्ष सं0 21) गाजीपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

विषय- शासनादेश संख्या- 17051/दो-4-2011-45(12)/91 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 03-01-2012 एवं शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91 दिनांक 13-05-2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महँगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि दिनांक 06-07-2018 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में दिनांक 06-07-2018 को अपर सिविल जज (जू0डि0) पंचम् गाजीपुर के पद पर कार्य-भार ग्रहण किया है। वर्तमान में प्रार्थी सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-21 गाजीपुर के पद पर अपनी सेवा दे रहा है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 उपाधि धारक था। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश से विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने के दिनांक 06-07-2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महँगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन में वर्णन किया गया है।

अतः आदणीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में पदभार ग्रहण करने के दिनांक 06-07-2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महँगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थी का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 05-09-2020

प्रार्थी
Adarsh Amol 05/09/2020
(आदर्श अमोल)

सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित
न्यायालय कक्ष-सं0 21 गाजीपुर।

संलग्नक

- 1- विधि स्नातकोत्तर परीक्षा दो अंक पत्र की छायाप्रति।
- 2- विधि स्नातकोत्तर की उपाधि की छायाप्रति।
- 3- पदभार ग्रहण करने की छायाप्रति।

क्रमांक 979/20 दिनांक 05-09-2020
अग्रसारित
Raghuramdas
579/20
गाजीपुर